



श्री जय राम ठाकुर
माननीय मुख्यमंत्री हि.प्र.



श्री विक्रम सिंह
माननीय उद्योग, परिवहन तथा
श्रम एवं रोजगार मंत्री हि.प्र.

सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करें

GOOD SAMARITAN

नेक व्यक्ति बनें

हैलो
108



सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश



स्टैचिक उल्लेख करने पर एक ही बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पूछताछ की जाएगी



सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल लाने वाले व्यक्ति को तुरंत बिना प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे दी जाएगी



गुड सेमेरिटेज का नाम वा संपर्क विवरण बताना स्टैचिक या वैकल्पिक होगा



घायल व्यक्ति की पुलिस को सूचना देने पर उसका व्यक्तिगत विवरण नहीं लिया जाएगा

गुड सेमेरिटेज



गुड सेमेरिटेज वा आईस्टैंडर किसी सिविल वा आफिशियल दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा



सड़क सुरक्षा
जीवन रक्षा

FIVE REASONS

Why you should **HELP** road crash victims



सड़क सुरक्षा
जीवन रक्षा



1



PROTECTION FROM POLICE HARASSMENT

2



NO DETENTION AT HOSPITALS

3



NO LIABILITY TO PAY ANY MEDICAL BILLS

4



NO COMPULSION TO DISCLOSE IDENTITY

5



NO CIVIL/CRIMINAL LIABILITY

PROTECTION OF
GOOD SAMARITANS



संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश 'सड़क सुरक्षा' पर एक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है।

पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सड़कों आवागमन का प्रमुख साधन हैं। इसलिए सड़कों को प्रदेश की भाग्य रेखाएं भी कहा जाता है। विगत पचास वर्षों में राज्य में सड़कों की लम्बाई में आशातीत वृद्धि हुई है। यह विडम्बना है कि मानवीय तथा अन्य कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में बहुमूल्य जाने काल का ग्रास बन जाती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति/व्यक्तियों को राहत व बचाव में हमारे प्रदेशवासी सदैव ही तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने व प्रथम नागरिक का दायित्व निभाते आ रहे हैं।

समाज में नेक व्यक्तियों की कमी नहीं है। घायल व पीड़ित की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। अतः अब कानून के अनुसार पुलिस तथा अस्पताल प्रशासन द्वारा मद्दगार के अधिकार सुरक्षित हैं। सरकार ने मद्दगार को पुरस्कृत करने की योजना भी आरंभ की है तथा इस पुस्तिका में इस बारे विस्तार से जानकारी समाहित की गई है, जो एक प्रशंसनीय प्रयास है।

मुझे आशा है कि इस पुस्तक के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा व पीड़ित व्यक्तियों की मदद बारे जागरूक करने में सहायता मिलेगी। मैं परिवहन विभाग, विशेषकर सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के प्रयासों की सराहना करता हूँ, जो समाज को सड़क सुरक्षा बारे जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

(जय राम ठाकुर)

मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश

प्रस्तावना

यह वास्तविक तथ्य है कि भारतवर्ष में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है। पिछले दस वर्षों में लगभग 13 लाख लोग इन दुर्घटनाओं में असामयिक मृत्यु के शिकार हुए हैं। अनुमानतः इन मौतों में 50% यानी आधी जानों को बचाया जा सकता था यदि दुर्घटना के एक घंटे (Golden Hour) के भीतर घायल व्यक्ति को तत्काल ज़रूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाती। दुर्घटना के समय औसतन चार में से तीन व्यक्ति घायल की मदद से इस आशंका से कतराते हैं कि ऐसा करने पर उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा या अस्पताल द्वारा पूछताछ या कानूनी पेचीदगियों के कारण अस्पताल में लंबे समय तक रोका जाएगा जबकि यह आशंका सही नहीं है। दुर्घटना के समय मददगार बनने वाले नेक व्यक्ति की भलमनसाहत और मान-सम्मान को सरकार द्वारा कानूनी अधिकार देकर पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे न तो कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उसका अस्पताल में रुकना ज़रूरी है। इन प्रावधानों को जानें; डरें या झिझकें नहीं। सड़क दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को हर संभव तत्काल चिकित्सा मुहैया करवाने में मददगार बनकर उसकी कीमती जान बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

इस पुस्तिका के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने के लिए प्रेरित करने हेतु केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 134 (क) के अन्तर्गत नेक व्यक्ति (Good Samaritan) के अधिकारों की जानकारी दी गई है।



GOOD SAMARITAN

नेक व्यक्ति

GOOD SAMARITAN-नेक व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नेक नीयत, स्वेच्छा से और किसी ईनाम या मुआवजे की उम्मीद किए बिना सड़क दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुँचाता है।



मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 क (1) के अनुसार **GOOD SAMARITAN** - नेक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की आपातकालीन स्थिति में ईलाज या अन्य प्रकार की सहायता करते समय कोई कार्यवाही करने में या कार्यवाही करने में असफल रहने पर यदि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को क्षति पहुँचती है या उसकी मृत्यु होती है तो नेक व्यक्ति किसी सिविल या अपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सड़क दुर्घटना क्या है ?

अप्रत्याशित एवम् दुःखद परिणाम वाली आकस्मिक घटना को दुर्घटना (Accident) कहते हैं। यातायात के साधनों में लगातार विकास के कारण सड़क पर वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण सड़कों पर असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है जिस कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है। सरकार इस विषय को लेकर काफी संवेदनशील हैं। त्वरित विकास एवम् सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करते हुए इन परियोजनाओं में नवाचार उपकरणों को शामिल किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जून, 2021 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 1.35 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं एवम् 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 1.50 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है जोकि कुल वैश्विक मौतों का 11 प्रतिशत है तथा लगभग 4.50 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं।



हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 3,000 सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं जिसमें लगभग 1,200 लोगों की मृत्यु होती है तथा 5,000 के करीब लोग घायल होते हैं। उपरोक्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े गंभीर चिंता का विषय है। विषय की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की सहायता के लिए आम जनमानस को प्रेरित करने के लिए “**GOOD SAMARITAN - नेक व्यक्ति**” की सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं ताकि वे बिना किसी डर व झिझक के सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की सहायता कर उसे समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा सके।

अगस्त, 2015 से दिसम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़े

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015	1,330	549	2,256
वर्ष 2016	3,168	1,271	5,764
वर्ष 2017	3,114	1,203	5,452
वर्ष 2018	3,110	1,208	5,551
वर्ष 2019	2,873	1,147	4,904
वर्ष 2020	2,239	893	3,223
वर्ष 2021	2,403	1,049	3,464
कुल	18,327	7,320	30,605

अगस्त, 2015 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की कुल संख्या - 18,327

अगस्त, 2015 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान मृतक व्यक्तियों की कुल संख्या - 7,320

अगस्त, 2015 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान घायल व्यक्तियों की कुल संख्या - 30,605

यातायात नियमों का पालन करें

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सभी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 19,05,087 है जिसमें से दुपहिया वाहनों जैसे स्कूटर / मोटरसाइकिल/ मोपेड की संख्या 10,21,003 है जोकि कुल वाहन संख्या के आधे से भी ज्यादा है तथा प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में दुपहिया वाहनों की संख्या दूसरे स्थान पर है। हेलमेट का प्रयोग कर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु एवं चोटों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।



वर्ष 2021 के दौरान वाहन के प्रकार के अनुसार दुर्घटनाओं का वर्गीकरण

वाहन के प्रकार	वर्ष 2021
ऑटोरिक्षा	15
बस	86
भारी माल वाहक वाहन	3
टक्कर मारकर गाड़ी भगाना (अज्ञात वाहन)	179
भारी मोटर वाहन व निर्माण सामग्री वाहक वाहन	14
जीप	304
हल्के मोटर वाहन	1
मोपेड	8
मोटर कार	1167
मोटर साइकिल/स्कूटर	1153
अन्य मोटर वाहन	5
स्कूल बस	4
टैक्सी	59
टेम्पो	69
ट्रैक्टर	62
यात्री वाहन	16
ट्रक	408
कुल	3553

सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण

आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक सड़क दुर्घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने के कारण होती हैं। इसके अतिरिक्त खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से ओवरटेकिंग करना, लापरवाही से लेन बदलना व बिना देखे वाहन मोड़ना तथा नशे के प्रभाव में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के अन्य प्रमुख कारण हैं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों की उपेक्षा करना भी सड़क दुर्घटनाओं में जान की हानि का कारण बनता है।

हिमाचल प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों में सबसे ज्यादा संख्या हल्के मोटर वाहन व दुपहिया वाहन जैसे कि कार, जीप, स्कूटर व मोटरसाइकिल की है। प्रदेश में सड़क हादसों का मुख्य कारण आमने-सामने की टक्कर, वाहनों का सड़क से नीचे खाई या नदी-नालों में लुढ़कना व पैदल पारपथ यात्रियों को वाहन द्वारा टक्कर मारना है।



सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर इसके प्रावधानों को कठोर करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में हिमाचल सरकार द्वारा 20 जुलाई, 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जुर्माने की राशि को निर्धारित किया गया है। इसी अधिसूचना के अंतर्गत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अंतर्गत नशा करके वाहन चलाने पर आर्थिक दंड के साथ-साथ कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण

प्रतिकूल मौसम	6
अंधामोड़	46
लापरवाही से लेन बदलना	139
खतरनाक ड्राइविंग	639
खतरनाक ओवरटेकिंग	164
यातायात के प्रवाह के विपरीत ड्राइविंग	17
रास्ते के अधिकारों के नियमों का सम्मान न करना	62
बाहरी मोड़ों पर पैराफिट, क्रेश बैरियर का प्रावधान न होना	64
अन्य कारण	12
सड़क की फिसलन भरी सतह	18
गति	951
संदिग्ध दवाईयों व शराब का सेवन	65
संदिग्ध वाहन दोष	1
बिना देखे वाहन मोड़ना	203
सड़क की असमान सतह	16
कुल	2403

यातायात के महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन करना आवश्यक है

- किसी भी प्रकार नशे की अवस्था, थकान एवं अस्वस्थता की स्थिति में वाहन न चलाएं। पूरे होश एवं सामान्य अवस्था में ही वाहन चलाना चाहिए।
- वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को न बैठाएं।
- स्कूल, अस्पताल, चौराहों आदि के समीप पैदल यात्रियों का ध्यान रखते हुए अपने वाहन की गति धीमी रखें।
- चकाचौंध करने वाली हैडलाइटों का प्रयोग न करें।
- रात में डिपर का प्रयोग अवश्य करें।
- नंबर प्लेट साफ एवं सही मानकों के अनुरूप ही लिखवाएं।
- वाहनों में अत्यधिक तेज और अजीब ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न एवं प्रतिबंधित हूटर्स और लाइटों का प्रयोग न करें।
- सड़क पर पैदल चलते हुए या वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात न करें और न ही ईयर फोन लगाकर गाने आदि सुनें।
- पैदल सड़क पार करते समय जेबरा क्रॉसिंग व ओवर ब्रिज का प्रयोग करें एवं सड़क पर पैदल चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करें।
- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं व दोपहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्ति हेलमेट का प्रयोग करें।



वर्ष 2020 व वर्ष 2021 के दौरान हुई दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आँकड़े

	(जनवरी से दिसम्बर) 2020	(जनवरी से दिसम्बर) 2021
कुल दुर्घटनाएं	2239	2403
मृतकों की संख्या	893	1049
घायलों की संख्या	3223	3456

दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत = 7.32%

मृतक व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत = 17.46%

घायल व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत = 7.22%




GOLDEN HOUR - अति महत्वपूर्ण समय

GOLDEN HOUR सड़क दुर्घटना के बाद एक घंटे का वह अति महत्वपूर्ण समय है कि यदि इस अवधि के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है तो उसकी जान बचने की 80 प्रतिशत सम्भावना बढ़ जाती है। भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से आम जनता को बिना किसी डर व झिझक के इस महत्वपूर्ण एक घंटे के भीतर सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने हेतु प्रेरित करने के लिए कानून में प्रावधान किया गया है ताकि बहुमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सके।



आप घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर वापिस जा सकते हैं।



वह **GOOD SAMARITAN**-नेक व्यक्ति जिसने सड़क दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है या जो सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है उसे पुलिस या अस्पताल द्वारा किसी भी आगामी कार्यवाही अथवा रूकने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत वापिस जाने की अनुमति होगी।

किसी भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा नेक व्यक्ति को उसकी स्वेच्छा के बिना अपना नाम, पहचान व पता उजागर करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

नेक व्यक्ति (GOOD SAMARITAN) की सुरक्षा एवं अधिकार

प्रत्येक सरकारी एवं निजी अस्पताल को अपने प्रवेश द्वार या किसी मुख्य स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में एक अधिकार पत्र (Bill Board) सार्वजनिक रूप से लगाना होगा जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नेक व्यक्तियों के अधिकारों को दर्शाया गया हो।



सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करें व नेक व्यक्ति (GOOD SAMARITAN) बनें

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 (क) के अनुसार नेक व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नेक नीयत, स्वेच्छा से और किसी इनाम या सुआवनें की उम्मीद किए बिना पीड़ित को दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुँचाता है।

नेक व्यक्ति (GOOD SAMARITAN) के अधिकार

1. सड़क दुर्घटना के समय पुलिस या कानूनी दायपेंच को झमेले को डर से अपनी ईसायित न छोड़ें। घायल व्यक्ति की मदद के लिए बिना संकोच आगे आएँ क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 क (1) के अनुसार नेक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की आपातकालीन स्थिति में इलाज या अन्य प्रकार की सहायता करते समय कोई कार्यवाही करने में या कार्यवाही करने में असफल रहने पर यदि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को क्षति पहुँची है या उसकी मृत्यु होगी है तो नेक व्यक्ति किसी सिविल या अपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 क (2) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के 9वें अध्याय में नियम 168 में नेक व्यक्ति के अधिकार व नियम 169 में नेक व्यक्ति की परीक्षा को परिभाषित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 (क) के अनुसार मददगार नेक व्यक्ति को धर्म, जाति से ऊपर उठकर समान सहित अधिकार देता है कि पुलिस को सूचित करने या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने की स्थिति में उसे पुलिस या अस्पताल द्वारा रोकने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
2. पुलिस या अस्पताल द्वारा उसे नाम, परिचय, पता आदि बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही अस्पताल की किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे रोकता जाएगा।
3. घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने से संबंधित किसी प्रक्रिया को पूरा करने या घायल को उपचार के लिए किसी तरह के खर्च वहन करने की भी बाध्य नहीं किया जाएगा।
4. स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी बनने की स्थिति में उससे पूछताछ उसकी सुविधा के अनुसार समय और स्थान जैसे उसके आवास या कार्यस्थल पर करने की व्यवस्था की जाएगी या इसके लिए वह सुविधा अनुसार जाने का ध्यान भी कर सकता है। यदि वह चाहे तो पुलिस उससे साक्षी पदों में आकर भी पूछताछ कर सकती है और जहाँ तक सम्भव हो पूछताछ की प्रक्रिया एक बार में ही पूरी कर ली जाएगी।
5. जरूरत होने पर जांच अधिकारी द्वारा जांच के लिए बुलाए गए की भी व्यवस्था की जाएगी। साक्ष्य शपथ पत्र पर भी देने की अनुमति दी जाएगी।
6. नेक व्यक्ति को किसी तरह के उत्पीड़न या असुविधा के दृष्टिगत् साक्ष्य आदि के लिए कोई भी कॉन्सेंसिंग का प्रयोग भी किया जाएगा।
7. दुर्घटना की जांच के अवसर पर नेक व्यक्ति को अनुपस्थित होने में कोई असुविधा, अधिक व्यय और विलंब जैसे बाधाएं पैदा आती हैं अतः नेक व्यक्ति की परीक्षा उसकी सुविधा अनुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव न हो तो न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट वॉड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत किए गए आबेदन पत्र पर परीक्षा आयोजन करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

अतः सड़क दुर्घटना के समय डरें या झिझकें नहीं। घायल व्यक्ति की हर सम्भव मदद करें।


अधिक जानकारी के लिए Log in करें:- <https://himachal.nic.in/transport>

सड़क दुर्घटना से बचें एवं दूसरों को भी बचाएं।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहमति के बाद केवल सादे लिबास में पूछताछ

नेक व्यक्ति से पूछताछ उसकी स्वेच्छा एवं सुविधानुसार निर्धारित समय, स्थान जैसे कि आवास या कार्यस्थल पर पुलिस अधिकारी द्वारा सादे लिबास में की जाएगी।




वह नेक व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है और स्वेच्छा से अपना नाम उजागर करना चाहता है तो वह अस्पताल अपने अधिकारिक पत्र में उसका नाम, पता, दुर्घटना का समय, तिथि व स्थान दर्ज कर उसे इस बारे में रसीद प्रदान करेगा।

अस्पताल



नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी गवाही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी दे सकता है



नेक व्यक्ति के उत्पीड़न और असुविधा को रोकने के लिए उस नेक व्यक्ति को अपनी गवाही देने के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाएगा।

नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी गवाही शपथ पत्र पर भी दे सकता है

यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सड़क दुर्घटना का साक्षी बनना चाहता है तो उसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 296 के अनुसार उसकी गवाही शपथ पत्र (Affidavit) पर देने की अनुमति दी जाएगी।

नेक व्यक्ति के अधिकार

- (1) ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 134(क) के अनुसार नेक व्यक्ति है, को केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 168 के प्रावधान के अनुसार उनके साथ किसी भी धार्मिकता, राष्ट्रीयता, जातिगत या लैंगिकता के आधार पर भेदभाव किए बगैर सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।
- (2) एक नेक व्यक्ति, जिसने दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है या जो सड़क दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल ले गया है, को पुलिस या अस्पताल द्वारा आगे की किसी भी कार्यवाही के लिए रूकने को विवश नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत स्थान छोड़ने की अनुमति होगी।
- (3) कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, नेक व्यक्ति को उनका नाम, परिचय, पता या इस प्रकार का अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

परंतु नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम, पता और घायल व्यक्ति (अगर जानने वाला है) का नाम पुलिस अधिकारी को बता सकता है।

परंतु इसके अतिरिक्त, यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम या व्यक्तिगत विवरण बताता है, तो पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने का विकल्प पूरी तरह से नेक व्यक्ति पर निर्भर करेगा।

(4) एक नेक व्यक्ति, जो किसी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, को निम्नलिखित के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा:

- (क) चिकित्सीय - विधि मामला प्ररूप के प्रयोजनार्थ सहित कोई भी व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे उसका नाम, टेलीफोन नंबर और पता बताने के लिए;
- (ख) घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए संबंधित किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए; या
- (ग) किसी घायल व्यक्ति के उचार का चिकित्सीय व्यय वहन करने के लिए।

परंतु यदि नेक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना नाम बताया है और यदि वह ऐसा करने के लिए इस प्रकार वांछा करता है, तो अस्पताल अपने आधिकारिक पत्र में ऐसे नेक व्यक्ति का नाम, पता, दुर्घटना का समय, तिथि, स्थान और यह पुष्टि करते हुए कि घायल व्यक्ति को उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा लाया गया था, के रूप में अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

परंतु इसके अतिरिक्त एक नेक व्यक्ति, जो दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी है और स्वेच्छा से

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाना चाहता है, तो वह जांच प्रक्रिया में सहायता के लिए अपने नाम और पते के अलावा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने की रजामंदी भी प्रकट कर सकता है।

(5) प्रत्येक अस्पताल को प्रवेश या सुस्पष्ट स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक अधिकार-पत्र सार्वजनिक करना होगा, जिसमें इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियम नेक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया गया हो।

नेक व्यक्ति की परीक्षा

- (1) यदि कोई व्यक्ति ऐसे मामले में स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी बनने को सहमत है, जिसमें उसने एक नेक व्यक्ति की भूमिका अदा की है, तो उसकी परीक्षा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 169 के अनुरूप की जाएगी।
- (2) नेक व्यक्ति की पूछताछ उनकी सुविधानुसार समय और स्थान जैसे आवास या कार्य के स्थान पर की जाएगी और तदनुसार अन्वेषण अधिकारी सादे कपड़ों में होंगे। परंतु नेक व्यक्ति अपनी परीक्षा पुलिस थाने में करवाने का चयन कर सकता है और ऐसे मामले में पूछताछ बिना किसी अनुचित विलंब के समयबद्ध तरीके से और जहां तक संभव हो एक बार में ही पूरी की जाएगी।
- (3) यदि नेक व्यक्ति अन्वेषण अधिकारी या संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय भाषा के सिवाय कोई अन्य भाषा बोलता है, तो अन्वेषण अधिकारी दुभाषीया की व्यवस्था करवाएगा।
- (4) यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 296 के अनुरूप उनका साक्ष्य शपथ-पत्र पर देने की अनुमति दी जाएगी।
- (5) यदि किसी कारणवश नेक व्यक्ति बिना अनुचित विलंब, व्यय या असुविधा के उपस्थित नहीं हो सकता अथवा उसकी परीक्षा उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव नहीं हातो है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के उपबंधों के अनुसार इसके अधीन किए गए आवेदन पर परीक्षा आयोजित के लिए एक कमीशन जारी कर सकते हैं।
- (6) ऐसे नेक व्यक्ति के उत्पीड़न और असुविधा को रोकने के लिए उस नेक व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का चयन करता है की परीक्षा के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाएगा।

Rights of Good Samaritan

- (1) Any person who is a Good Samaritan, as per section 134(A) of the Act, shall have the rights detailed under chapter IX of Central Motor Vehicle Rules 1989, and shall be treated respectfully without any discrimination on the grounds of religion, nationality, caste or sex.
- (2) A Good Samaritan who has informed the police of any accident involving a motor vehicle, or who has transported a victim of an accident involving a motor vehicle to the hospital, shall not be subjected to any further requirements by the police or the hospital, and shall be permitted to leave immediately.
- (3) No police officer or any other person, shall compel a Good Samaritan to disclose his name, identity, address or any such other personal details:

Provided that the Good Samaritan may voluntarily choose to disclose his name, address, and name of the injured person (if known) to the police officer:

Provided further that, if the Good Samaritan has voluntarily disclosed his name or personal details, the police officer shall not compel such person to become an eye-witness in the case, and choice of becoming an eye-witness shall solely rest with the Good Samaritan.

- (4) A Good Samaritan who transports a victim of an accident involving a motor vehicle to the hospital shall not be forced to,
 - (a) disclose any personal information, such as his name, telephone number and address, including for the purpose of the Medico-Legal Case Form;
 - (b) fulfil any procedure related to the admission of an injured person or victim at the hospital; or
 - (c) bear any medical expenses towards the treatment of an injured person or victim:

Provided that in case the Good Samaritan has volunteered his name, and if he so desires, the hospital shall provide an acknowledgement to such Good Samaritan, on official letter-pad, mentioning the name of the Good Samaritan, address, time, date, place of occurrence, and confirming that the injured person was brought by the said person:

Provided further that, a Good Samaritan who has witnessed the accident and volunteers to become an eye-witness may, in addition to his name and address, also indicate his willingness to become an eye-witness in order to facilitate the investigation process.

- (5) Every public and private hospital shall publish a charter in Hindi, English and

vernacular language, at the entrance or other conspicuous location, and on their website, stating the rights of Good Samaritans under the Act and the rules made thereunder.

Examination of Good Samaritan

(1) If a person has voluntarily agreed to become a witness in the case in which he has acted as a Good Samaritan, he shall be examined in accordance with the provisions of rule 169 of Central Motor Vehicle Rule 1989.

(2) The examination of a Good Samaritan shall be conducted at a time and place of his convenience, such as his place of residence or business, and the investigating officer shall accordingly be dressed in plain clothes:

Provided that the Good Samaritan may choose to have his examination done at the police station, and in such case, the examination shall be conducted in a time bound manner without causing undue delay, and as far as possible, completed in a single examination.

(3) In case the Good Samaritan speaks a language other than the language of the investigating officer or the local language of the respective jurisdiction, the investigating officer shall arrange for an interpreter.

(4) In case the Good Samaritan has volunteered to become an eye-witness, he shall be permitted to give his evidence on affidavit in accordance with the provisions of section 296 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):

Provided that the affidavit of the Good Samaritan, if filed, shall be treated as complete statement, and in case a statement is to be recorded, the complete statement shall be recorded in a single examination.

(5) In case the attendance of a Good Samaritan cannot be procured without delay, expense or inconvenience, which under the circumstances of the case would be unreasonable, or the examination is unable to take place at a time and place of his convenience, the Court or the Magistrate may dispense with such attendance and may issue a commission for the examination of the Good Samaritan in accordance with the provisions of section 284 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to conduct the examination, on an application made thereunder.

(6) Video conferencing shall be used extensively during examination of Good Samaritans who choose to be eye-witnesses, in order to prevent harassment and inconvenience to such Good Samaritans.”

जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान जिलावार दुर्घटनाओं की स्थिति

जिला	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
पुलिस जिला बद्दी	170	98	227
बिलासपुर	173	38	272
चम्बा	93	85	169
हमीरपुर	95	22	135
काँगड़ा	390	127	532
किन्नौर	46	32	59
कुल्लू	161	77	220
लाहौल-स्पिति	19	9	32
मंडी	275	111	409
शिमला	371	189	577
सिरमौर	246	117	328
सोलन	155	44	234
ऊना	209	100	264
कुल	2403	1049	3456

मानवता का परिचय दें,
GOOD SAMARITAN - नेक व्यक्ति बनें



“आओ हाथ बढ़ाएं - कीमती मानव जीवन बचाएं”

सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा

एक जिम्मेदार चालक होने के नाते मैं शपथ लेता हूँ कि

1. मैं कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाऊँगा।
2. मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनूँगा।
3. मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज साथ रखूँगा।
4. मैं कभी भी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करूँगा।
5. मैं सड़क के सिग्नलों का पालन करूँगा।
6. मैं कभी भी पीली रेखा पार नहीं करूँगा।
7. मैं कभी भी सड़क के बीच में खड़ा नहीं रहूँगा और साथी यात्रियों से बहस नहीं करूँगा।
8. मैं कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाऊँगा।
9. मैं सभी राहगीरों, खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर खास ध्यान दूँगा।
10. मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर वाहन को आगे जाने के लिए जगह दूँगा।
11. मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवरटेक नहीं करूँगा।
12. मैं आँखों की नियमित रूप से जांच कराता रहूँगा।
13. मैं थका हुआ या तनावग्रस्त होने पर वाहन नहीं चलाऊँगा।
14. मैं वाहन का दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा।
15. मैं क्लच का सही इस्तेमाल करके ईंधन की बचत करूँगा।
16. मैं वाहन को फिट रखूँगा ताकि वह पर्यावरण को प्रदूषित न करें।
17. मैं अपने यात्रियों के साथ मित्रवत और सहायक रहूँगा।
18. मैं स्कूल, अस्पताल जैसे ध्वनि निषेधित क्षेत्रों में कभी भी हॉर्न नहीं बजाऊँगा।
19. मैं लेन के अनुशासन का पालन करूँगा।
20. मैं सड़क और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करूँगा।

**अपनी सुरक्षा, परिवार की रक्षा
सड़क सुरक्षा पर ध्यान दें।**

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS

112

- **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली - EMERGENCY RESPONSE SUPPORT SYSTEM (ERSS) "112"** देशभर में सभी प्रकार की आपात और संकटकालीन सहायता के लिए एक एकल आपातकालीन नम्बर है।
- ERSS के तहत सभी आपातकालीन सहायता नम्बरों जैसे पुलिस सहायता के लिए 100, आग के लिए 101, एम्बुलेंस और आपदा प्रतिक्रिया के लिए 102 आदि को एक ही आपातकालीन नम्बर 112 में एकीकृत किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक ही फोन नम्बर 112 पर कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- ERSS केन्द्र कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सुविधाओं से लैस पुलिस नियंत्रण कक्ष होता है जो नियंत्रण कक्ष और पुलिस के गश्त कर रहे वाहनों के बीच वास्तविक समय (REAL TIME) में सम्पर्क और तालमेल स्थापित करता है ताकि किसी भी आपात परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के द्वारा संकट में फंसे व्यक्ति की सहायता की जा सके।
- सड़क दुर्घटना के समय आपातकालीन एम्बुलेंस नम्बर 108 के अतिरिक्त 112 नम्बर पर कॉल करके भी सड़क दुर्घटना पीड़ित को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।
- हिमाचल प्रदेश ERSS लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।

“आपका एक प्रयास - मानव जीवन की आस”

नेक व्यक्ति को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार योजना

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करके उसे **GOLDEN HOUR** के दौरान अस्पताल पहुँचाकर चिकित्सा उपलब्ध करवाकर उसकी जान बचाने हेतु “पुरस्कार योजना” का भी प्रावधान है।

GOOD SAMARITAN AWARDS CEREMONY



जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाएँ



हेलमेट नहीं मज़बूरी, जीवन रक्षा है ज़रूरी

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रकाशित

संपादन कार्य: श्री अमर सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक, श्री पूर्ण चन्द चौहान, उप-निदेशक (शिक्षा)

रेखांकन एवं टंकण: श्री नितेश कुमार